FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... ~~सहायक कलक्टर~~ (SDO) बायतु .... मुकाम ....

.... तीजो देवी .... बनाम .... दला राम व और ....

किस्म मुकदमा .... 31/12/2020 .... नं. .... 391/2020 .... सन् .... 2020 ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/2020	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री .... नरपत प्रकाश .... ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा .... 111, 128 .... राजस्थान काश्तकारी/भू ~~राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक .... 15/02/2021 .... को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
15/02/2021	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान पुकार पर उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इजलास होकर दिनांक 26/04/2021 को पेश हो।/a	
26/04/2021	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान पुकार पर उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इजलास होकर दिनांक 22/06/2021 को पेश हो।/a	
22/06/2021	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान पुकार पर उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इजलास होकर दिनांक 03/08/2021 को पेश हो।/a	
03/08/2021	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान पुकार पर उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इजलास होकर दिनांक 18/10/2021 को पेश हो।/a	

18/10/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण, नोटिस तामिल अदम तामिल मिसल। श्रीमान पीठासीन अधिकारी पंचायत चुनाव के लंबे माह-मार्च-2021 कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-28/12/2021 को पेश हो।

28/12/2021

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 05/01/22 को पेश हो।

05/01/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 28/02/2022 को पेश हो।

28/02/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक-28/03/2022 को पेश हो।

सहायक क...
(SDO) ...

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	**हुक्म** कार्यवाही **मय** इनिशियल्यस **जज**	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28/03/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 283

दिनांक : 28/03/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. तीजोदेवी पत्नि खीमाराम,
जाति कुम्हार, निवासी त्रिशुलिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. दलाराम पुत्र जोगाराम वगैरा 10,
जाति कुम्हार, निवासी लोरेटी,
पटवार मण्डल खारापार,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 391 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लोरेटी, पटवार हल्का – खारापार, तहसील – गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 182 / 55 रकबा 40 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमि्शनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 284 to 288

दिनांकः– 28/03/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
1. पटवारी हल्का खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
2. प्रार्थी श्री तीजोदेवी पत्नि खीमाराम,
3. विप्रार्थी श्री दलाराम पुत्र जोगाराम वगैरा 10,
4. पुलिस थानाधिकारी बायतु / ~~बायतु~~ / गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु